भारत सरकार
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
"एनडीएमए भवन",
ए–1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली– 110029.
दूरभाष सं० 26701701, फैक्स सं० 26701716

सं० 1–137/2018–प्रश.**II** (एफटीएस–10548) दिनांक : 17 मार्च, 2020

सेवा में,

सभी मुख्य सचिवों/यूटी प्रशासकों

विषय : संशोधित निर्देशों से पहले निर्दिष्ट देशों से आए लोगों की ट्रैकिंग, कोरोनावायरस के संदर्भ में।

महोदय,

जैसाकि आपको अवगत है, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारत सरकार प्रवेश और स्क्रीनिंग तंत्र को निरंतर मजबूत कर रही है।

तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वायरस की ऊष्मायन अवधि दो सप्ताह की अवधि के लिए हो सकती है, संशोधित निर्देश होने की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, विशेषकर भारत में आने वाले लोगों पर ध्यान देते हुए अनुरेखण तंत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। जबकि ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन आ चुके भारतीय और विदेशियों के संबंध में डेटा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है, यह भी सुझाव दिया गया है कि जोखिम को कम करने की समग्र हित में राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित समानांतर दृष्टिकोण पर विचार किया जा सकता है।

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 33 के तहत जिला प्रशासन के द्वारा सभी स्थानीय निवासियों को समग्र प्रचार के साथ एक आदेश जारी किया जाए कि, जो लोग 1 जनवरी, 2020 से निर्दिष्ट देशों से आए हैं, वे अपने स्वास्थ्य के लिए स्थानीय अधिकारियों से लगातार फॉलोअप करें।
2. प्रत्येक व्यक्ति जो स्वेच्छा से आगे आए, की उपयुक्त चिकित्सा जांच करने के लिए तंत्र रखा जाए और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार करें।
3. गैर–सरकारी संगठनों/नागरिक समाज संगठनों के विश्वसनीय सदस्यों को शामिल करें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को तार्किक अंत तक ले जाया जाए। यदि संबंधित विदेशी या भारतीय नागरिक देश छोड़कर चला गया है, तो इसकी पुष्टि और उल्लेख किया जाए। यदि विदेशी या भारतीय नागरिक अलग क्षेत्र में चला गया, तो नए अधिकार क्षेत्र के जिला अधिकारी को विवरण साझा करने का प्रयास किया जाए।
4. एफआरओ और जिला पुलिस अधीक्षकों की सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए ली जा सकती है कि इन 'विरासत आगमन' के संबंध में ट्रैकिंग की यह प्रक्रिया पूरी मेहनत से हो।

भवदीय,

(जी.वी.वी. शर्मा)
सदस्य सचिव